न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी

रूक्मणि रियार सिहाग
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
99/अपील/16	05.04.2016	04.11.2019

जवाहरलाल आ. लाला, जाति मीणा,
निवासी ग्राम मायजा,
तहसील के.पाटन, जिला बून्दी

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये उपखण्ड मजिस्ट्रेट, के0पाटन

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्ध अधिनियम ,1959

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री रामकैलाश नागर, एडवोकेट
रेस्पो0 की ओर से लोक अभियोजक

निर्णय

यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, के0पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2016 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अपीलांट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1722/93 को निलम्बित कर दिया गया है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाने के आदेश दिये जाने एवं आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 1722/93 स्वीकृत है, जिस पर एक दो नाली टोपीदार बन्दूक संख्या 991 धारित है तथा यह अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2011 तक नवीनीकृत है। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा आगामी अवधि के लिए उक्त अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट,के.पाटन के यहां प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.16 द्वारा लाईसेन्स निलम्बित कर दिया और लाईसेन्स नवीनीकृत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट के0पाटन ने थानाधिकारी थाना के.पाटन की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया है वह सर्वथा अनुचित है। थानाधिकारी के.पाटन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नं. 262/97 धारा 13 आरपीजीओ जो कि एक साधारण प्रकृति का मुकदमा है, जिसका निर्णय दिनांक 21.10.1997 हो चुका है। मुकदमा नं. 244/97 धारा 325, 323, 147, 148 आइपीसी का निर्णय दिनांक 11.03.2005 को न्यायालय द्वारा किया गया, जिनमें अपीलांट को दोषमुक्त किया गया। प्रकरण संख्या 192/2009 का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2013 को किया गया, जिसमें अपीलांट को दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण मिथ्या, निराधार, बनावटी एवं रंजिवश दर्ज करवाये गये थे, जिन्हें न्यायालय द्वारा खारिज करते हुये अपीलांट को दोषमुक्त किया जा चुका है। अपीलांट के विरूद्ध वर्तमान में कोई प्रकरण किसी भी पुलिस थाना अथवा न्यायालय में पंजीकृत नहीं है। अपीलांट गांव का एक सदभावी इज्जतदार व सभ्य परिवार का सदस्य तथा राजकीय कर्मचारी है। अपीलांट को उक्त दोनाली बन्दुक की सद्भाविक रूप से आवश्यकता है, क्योंकि अपीलांट को अपने मकान तथा अपने परिवार की कृषि भूमि की फसलों की रखवाली करने तथा आत्मरक्षा करने बाबत उक्त अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाने एवं अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

लोक अभियोजक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत लोकशांति, लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापत्र रिवोक किया जा सकता है। थानाधिकारी, थाना के.पाटन की रिपोर्ट अनुसार शस्त्र अनुधापत्रधारी के विरूद्ध मुकदमा सं. 262/97 धारा 13 RPGO दिनांक 21.10.97 को सजा जुर्माना 100/–रू., मुकदमा नं. 244/97 धारा 325,323,147,148,149 IPC चालान नं0 182 दिनांक 30.08.97 को दिनांक 11.03.05 को दोषमुक्त एवं मुकदमा नं0 192/09 धारा 332, 353, 341, 447, 506 IPC चालान नं0 176

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

दिनांक 30.07.09 पेश किया जाना एवं अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं बताया है। इसप्रकार अनुधापत्रधारी के विरूद्व आपराधिक मामला पुलिस रेकार्ड में दर्ज होने से उक्त अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने की अनुशंषा नहीं की गई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.02.2016 उचित है, लिहाजा अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

न्यायालय ने पत्रावली तथा उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1722/93 दोनाली टोपीदार बन्दुक संख्या 991 को दिनांक 22.02.2016 को अनुज्ञापत्रधारी पर आपराधिक मामलें दर्ज होने से थानाधिकारी, पुलिस थाना के.पाटन द्वारा नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से निलम्बित किया जाना भलीभांति प्रकट होता है। यहां अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज उक्त मुकदमें में उस पर दोषसिद्ध नहीं हुये है, इसके बाद कोई आपराधिक मामला अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नहीं है। अपीलांट का यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता हैं, क्योंकि आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3) एंव 17(3)(ए) के आधार पर लाईसेन्सधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन किया जाने अथवा उसके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने पर अनुज्ञापत्र,लाईसेन्स ऑथोरिटी द्वारा रिवोक/ निलम्बित किया जा सकता है। अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या मुकदमा सं. 262/97 धारा 13 RPGO दिनांक 21.10.97 को सजा जुर्माना 100/– रू., मुकदमा नं. 244/97 धारा 325,323,147,148,149 IPC चालान नं0 182 दिनांक 30.08.97 को दिनांक 11.03.05 को दोषमुक्त एवं मुकदमा नं0 192/09 धारा 332,353,341,447,506 IPC चालान नं0176 दिनांक 30.07.09 पेश किया जाना पुलिस थाना के.पाटन की उक्त रिपोर्ट से प्रकट है। राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.8.05 मे भी यह निर्देश दिये गये है कि अनुज्ञप्तिधारी को दाण्डिक प्रकरण में संलिप्तता होने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुज्ञापत्र को निलम्बित/रिवोक किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अपीलांट के विरूद्व आपराधिक मुकदमा दर्ज रेकार्ड होने से इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अपीलांट द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग कर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को कभी भी प्रभावित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी